CURRENT AFFAIRS

Result Mitra

NEWS FOR UPSC

UPSC, IAS/PCS

State Exam

All Exam

31 Jan. 2025

ABHAY Sir

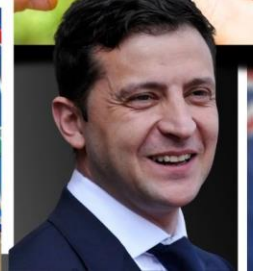

❖ Topic 1:– मेक्सिको की खाड़ी (Gulf of Mexico)

❖ Topic 2:– MGNREGS: फंडिग और मजदूरी भुगतान में देरी से बचाने की जरूरत

❖ Topic 3:– M23 और रवांडा

❖ Topic 4:– ASER 2024 रिपोर्ट

❖ Topic 5:– सुप्रीम कोर्ट का हाथ से मैला उठाने की प्रथा पर प्रतिबंध

मेक्सिको की खाड़ी (Gulf of Mexico)

- UPSC परीक्षा में यह विषय भूगोल (Geography), पर्यावरण (Environment), अर्थव्यवस्था (Economy), और अंतर्राष्ट्रीय संबंध (International Relations) में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

- मेक्सिको की खाड़ी (Gulf of Mexico) अटलांटिक महासागर का एक महत्वपूर्ण भाग है, जो उत्तरी अमेरिका और कैरेबियन क्षेत्र के बीच स्थित है।

- यह खाड़ी संयुक्त राज्य अमेरिका, मेक्सिको और क्यूबा से घिरी हुई है।

Google Maps

Google Maps will rename Gulf of Mexico as Gulf of America in US

Tech firm to make change in line with Trump's executive order, using both names in world outside US and Mexico

Source:– The Guardian

1. मेक्सिको की खाड़ी का भौगोलिक परिचय

- यह उत्तर अमेरिका के दक्षिण में स्थित है और अटलांटिक महासागर का हिस्सा है।
- यह खाड़ी उत्तर में संयुक्त राज्य अमेरिका (टेक्सास, लुइसियाना, मिसिसिपी, अलबामा, फ्लोरिडा), पश्चिम और दक्षिण में मेक्सिको, और दक्षिण-पूर्व में क्यूबा से घिरी हुई है।
- यह खाड़ी फ्लोरिडा स्ट्रेट (Florida Strait) और युकातान चैनल (Yucatán Channel) के माध्यम से अटलांटिक महासागर से जुड़ी है।

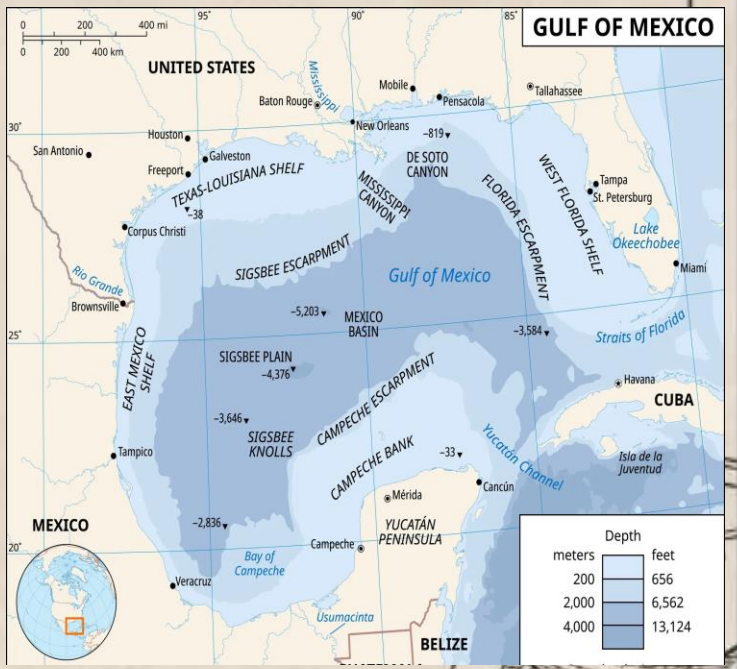

❖ महत्वपूर्ण तथ्य

2. मेक्सिको की खाड़ी का आर्थिक महत्व

1. तेल और गैस उत्पादन – यह क्षेत्र दुनिया के प्रमुख पेट्रोलियम भंडारों में से एक है।

2. मत्स्य उद्योग – झींगे, केकड़े और अन्य समुद्री जीवों की प्रचुरता के कारण यह एक महत्वपूर्ण मत्स्यन क्षेत्र है।

3. व्यापार और शिपिंग – अमेरिका और लैटिन अमेरिका के बीच व्यापारिक मार्ग के रूप में कार्य करता है।

4. पर्यटन – फ्लोरिडा और मेक्सिको के समुद्र तट पर्यटन के लिए प्रसिद्ध हैं।

4. पारिस्थितिकीय और पर्यावरणीय चुनौतियाँ

1. तेल रिसाव (Oil Spills) – 2010 का "डीपवाटर होराइजन" (Deepwater Horizon) तेल रिसाव दुनिया की सबसे बड़ी पर्यावरणीय आपदाओं में से एक थी।

2. हाइपोक्सिया (Hypoxia) या मृत क्षेत्र (Dead Zone) – मिसिसिपी नदी से आने वाले प्रदूषकों के कारण ऑक्सीजन की कमी, जिससे समुद्री जीवन प्रभावित होता है।

3. तटीय कटाव (Coastal Erosion) – जलवायु परिवर्तन और चक्रवातों के कारण समुद्री तटों का क्षरण हो रहा है।

4. चक्रवात और तूफान – इस क्षेत्र में अटलांटिक महासागर से उठने वाले चक्रवातों का खतरा बना रहता है।

5. भू-राजनीतिक महत्व

- मेक्सिको की खाड़ी अमेरिका, मेक्सिको और कैरिबियन देशों के बीच एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग और ऊर्जा स्रोत है।
- अमेरिका के लिए यह रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र है, क्योंकि यह उसकी ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ा है।
- मैक्सिको और अमेरिका के बीच समुद्री सीमा को लेकर कई विवाद भी रहे हैं।

MGNREGS: फंडिग और मजदूरी भुगतान में देरी से बचाने की जरूरत

❖ महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) –

❖ परिचय

❖ महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) 2005 में लागू किया गया था।

❖ इसे पहले राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (NREGA) के रूप में जाना जाता था, लेकिन 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदलकर "महात्मा गांधी NREGA" कर दिया गया।

❖ यह अधिनियम भारत में गरीब ग्रामीण परिवारों को आजीविका सुरक्षा प्रदान करने के लिए लागू किया गया था।

HOME / EDITORIAL

Stifling demand: On the MGNREGS

Updated January 30, 2025 09:35 IST 2 mins read

MGNREGS should not be let down by funding issues and wage delays

Source:– The Hindu

❖ मुख्य विशेषताएँ

1. **न्यूनतम 100 दिन का रोजगार** – प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन का अकुशल श्रम कार्य देने की गारंटी।

2. **कानूनी अधिकार** – यह एक कानूनी अधिकार है, जिसके तहत यदि सरकार 15 दिनों के भीतर काम नहीं देती है तो बेरोजगारी भत्ता देना होगा।

3. **महिला भागीदारी** – कम से कम 33% रोजगार महिलाओं के लिए आरक्षित।

4. स्थानीय विकास – इस योजना के तहत ग्रामीण बुनियादी ढांचे जैसे सड़क, तालाब, नहर आदि का निर्माण किया जाता है।

5. वेतन भुगतान – श्रमिकों को मजदूरी उनके बैंक/डाकघर खातों में सीधे दी जाती है।

6. ग्राम पंचायत की भूमिका – योजना का कार्यान्वयन मुख्य रूप से ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जाता है।

7. कार्य आवंटन – आवेदकों को 15 दिनों के भीतर कार्य आवंटित करना अनिवार्य है।

8. निगरानी और सामाजिक अंकेक्षण – भ्रष्टाचार रोकने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत को सामाजिक अंकेक्षण करना आवश्यक है।

❖ उद्देश्य

- ❖ ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा प्रदान करना।
- ❖ ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना।
- ❖ प्रवासी मजदूरी (Migration) को रोकना।
- ❖ महिलाओं और कमजोर वर्गों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना।
- ❖ पर्यावरण संरक्षण और जल संसाधनों के विकास में योगदान देना।

❖ वित्त पोषण

- ❖ केंद्र और राज्य सरकार संयुक्त रूप से इस योजना के वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराते हैं।
- ❖ मजदूरी भुगतान के लिए केंद्र सरकार 100% निधि देती है।
- ❖ सामग्री और प्रशासनिक लागत का 75% केंद्र और 25% राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

❖ MGNREGA की उपलब्धियाँ

1. ग्रामीण बेरोजगारी में कमी
2. गरीबी उन्मूलन में सहायक
3. महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि
4. पर्यावरण संरक्षण और जल संसाधनों का विकास

❖ चुनौतियाँ

❖ भ्रष्टाचार और फर्जी जॉब कार्ड
❖ समय पर भुगतान न होना
❖ स्थायी आजीविका निर्माण में कमी
❖ निगरानी और सामाजिक अंकेक्षण की कमजोर प्रणाली

❖ संभावित सुधार

1. डिजिटल भुगतान प्रक्रिया को मजबूत बनाना
2. स्वचालन और तकनीकी सुधार
3. सामाजिक अंकेक्षण को प्रभावी बनाना
4. स्थायी रोजगार के अवसर पैदा करना

❖ MGNREGS: फंडिग और मजदूरी भुगतान में देरी से बचाने की जरूरत

1. सरकारी उत्साह और कल्याणकारी योजना

बजट में कटौती और वित्तीय संकट

❖ महामारी के बाद से बजट में आवंटन लगातार घटा (FY21 में 3.2% से FY25 में 1.78%)।

❖ यह योजना मांग-आधारित होते हुए भी अतिरिक्त फंडिग से वंचित रही।

❖ किसी भी कल्याणकारी योजना की सफलता सरकार की प्रतिबद्धता पर निर्भर करती है।

❖ महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS) 20 वर्षों से प्रभावी बनी हुई है।

2. राजनीतिक परिस्थितियां और MGNREGS की स्थिति

❖ यह योजना दो अलग-अलग सरकारों के कार्यकाल में भी सफल रही।

❖ वर्तमान सरकार में इसे "अनचाही आवश्यकता" के रूप में देखा जा रहा है।

3. महामारी में MGNREGS की अहम भूमिका

❖ COVID-19 के दौरान यह ग्रामीण और प्रवासी मजदूरों के लिए एक जीवनरेखा साबित हुई।

❖ इससे लाखों लोगों को आजीविका का सहारा मिला।

5. मजदूरी भुगतान में देरी और दुष्प्रभाव

- मजदूरी भुगतान में देरी से श्रमिकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।
- मांग को कृत्रिम रूप से दबाने की कोशिश की गई, जिससे श्रमिकों को कम रोजगार मिला।

6. केंद्र सरकार की बकाया राशि

- ग्रामीण विकास मंत्रालय को मजदूरी भुगतान के लिए Rs. 4,315 करोड़ की कमी।
- केंद्र सरकार का MGNREGS के तहत सामग्री लागत के लिए Rs. 5,715 करोड़ का बकाया।

❖ **मनरेगा से जुड़ी प्रमुख समस्याएं :–**

❖ योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पर्याप्त धनराशि का अभाव।

❖ मजदूरी भुगतान में देरी होना और योजना को उसकी मांग के अनुसार संचालित ना किया जाना।

❖ मजदूरी दरों को महंगाई के अनुरूप नहीं बढ़ाया जाता ।

❖ **आधार-आधारित भुगतान प्रणाली की समस्याएं** – जॉब कार्ड को आधार से जोड़ने में तकनीकी और प्रशासनिक दिक्कतें हैं, जिससे श्रमिकों को समय पर भुगतान नहीं मिल पाता।

❖ **पर्याप्त बजटीय आवंटन का अभाव** – केंद्र सरकार द्वारा बजट में कटौती से इस योजना का मूल उद्देश्य प्रभावित हो रहा है, जिससे ग्रामीण मजदूरों को रोजगार की गारंटी नहीं मिल पा रही।

❖ **मनरेगा से जुड़ी प्रमुख समस्याओ के समाधान :–**

❖ योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई जाए।

❖ मजदूरी भुगतान में देरी न हो और योजना को उसकी मांग के अनुसार संचालित किया जाए।

❖ **योजना को लेकर सरकार की सोच में बदलाव** – केंद्र सरकार को इस योजना को खर्च के रूप में देखने के बजाय इसे ग्रामीण विकास के साधन के रूप में अपनाना चाहिए।

❖ **बजट में पर्याप्त धनराशि आवंटित करना** – मनरेगा की मांग को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय बजट में पर्याप्त धनराशि का आवंटन किया जाए, जिससे यह योजना प्रभावी रूप से लागू हो सके।

❖ **योजना का महत्व :–**

❖ **कृषि से इतर आय का स्रोत** – मनरेगा खासकर कृषि के गैर-मौसम में ग्रामीण श्रमिकों के लिए आजीविका का महत्वपूर्ण साधन है।

❖ **ग्रामीण परिसंपत्तियों का निर्माण** – इस योजना के तहत सिचाई नहरें, ग्रामीण सड़कें, जल संरक्षण सुविधाएं आदि बनाई जाती हैं, जिससे गांवों का समग्र विकास होता है।

❖ **ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती** – यह योजना ग्रामीण गरीबों के हाथ में खर्च करने योग्य आय देती है, जिससे स्थानीय बाजार और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है।

❖ **ग्रामीण गरीबी उन्मूलन में योगदान** – भारत में अब भी बड़े पैमाने पर ग्रामीण गरीबी मौजूद है, और मनरेगा इस समस्या को कम करने में सहायक है।

Result Mitra
M23 और रवांडा

1. M23 का गठन:

- M23 (मार्च 23 मूवमेंट) कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (DRC) में 2009 में बने एक उग्रवादी समूह है।

- इसका नाम मार्च 23, 2009 के शांति समझौते के उल्लंघन के कारण पड़ा।

2. रवांडा का आरोप:

- रवांडा पर M23 का समर्थन करने का आरोप लगाया गया है, जिसमें प्रशिक्षण, हथियार और सैन्य सहायता शामिल है।

- रवांडा का कहना है कि वे अपनी सीमा की सुरक्षा के लिए यह कदम उठा रहे हैं, क्योंकि DRC में हुतू उग्रवादी (जैसे FDLR) सक्रिय हैं।

3. कांगो और रवांडा के बीच तनाव:

❖ कांगो और रवांडा के बीच रिश्ते 1994 के रवांडा जनसंहार के बाद से तनावपूर्ण हैं।

❖ रवांडा ने आरोप लगाया है कि DRC ने हुतू उग्रवादियों को शरण दी है, जो जनसंहार में शामिल थे।

4. क्षेत्रीय प्रभाव:

❖ M23 संघर्ष ने ग्रेट लेक्स क्षेत्र (रवांडा, कांगो, युगांडा) में अस्थिरता पैदा की है।

❖ इसके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में शरणार्थी और विस्थापन हुआ है।

5. अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया:

- संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने शांति वार्ता और संघर्ष विराम का आह्वान किया है।
- संघर्ष समाधान में कई प्रयास विफल रहे हैं, जिससे स्थिति अस्थिर बनी हुई है।

6. M23 और रवांडा के साथ संबंध:

- M23 मुख्य रूप से तुत्सी सैनिकों से बना है, और रवांडा तुत्सी समुदाय के प्रति सहानुभूति दिखाता है।
- रवांडा का कहना है कि उसका उद्देश्य सुरक्षा है, लेकिन कांगो इसे अपनी क्षेत्रीय अस्थिरता का कारण मानता है।

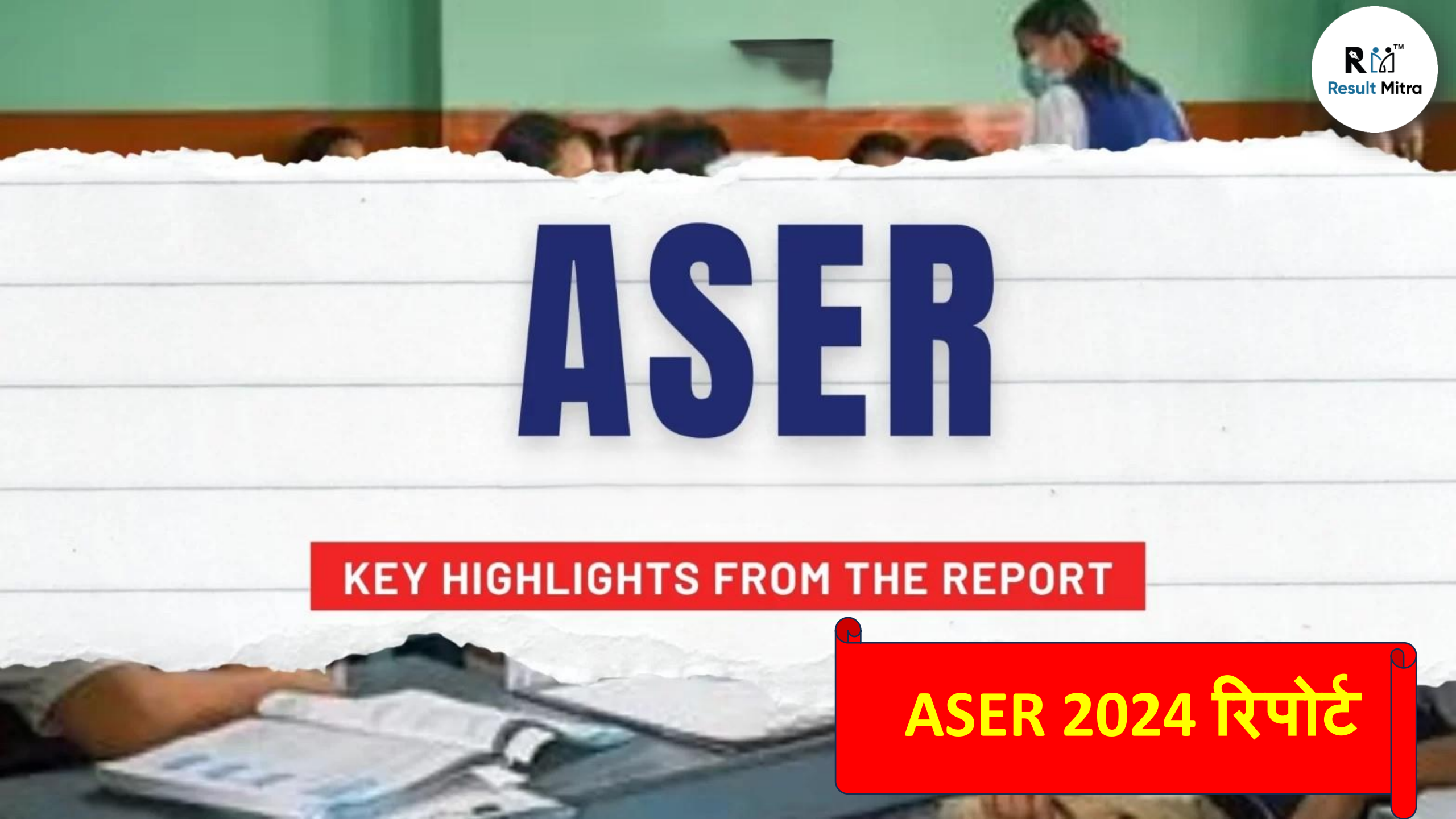
Result Mitra
ASER
KEY HIGHLIGHTS FROM THE REPORT
ASER 2024 रिपोर्ट

❖ ASER 2024 रिपोर्ट: मुख्य बिंदु

❖ 1. शिक्षा और सीखने में सुधार- ग्रामीण क्षेत्रों में कक्षा 3 और 5 के छात्रों की बुनियादी पढ़ने और गणितीय क्षमताओं में सुधार।

❖ 2022 से कक्षा I-VIII के बच्चों की पढ़ने और गणितीय क्षमता में सुधार, विशेष रूप से गणित में सबसे अधिक प्रगति।

❖ 2. डिजिटल साक्षरता और स्मार्टफोन उपयोग-पहली बार 14-16 वर्ष आयु वर्ग के लिए 'डिजिटल साक्षरता' सर्वेक्षण में शामिल।

❖ लगभग 90% परिवारों में स्मार्टफोन उपलब्ध।

❖ 36.2% लड़कों के पास अपना स्मार्टफोन, जबकि लड़कियों में यह आंकड़ा 26.9%।

❖ 57% किशोर/किशोरियां शिक्षा के लिए स्मार्टफोन का उपयोग करते हैं, जबकि 76% सोशल मीडिया के लिए।

Result Mitra

- **3. स्कूल अवसंरचना में सुधार-** शिक्षा के अधिकार (RTE) से जुड़े सभी संकेतकों में मामूली सुधार।
- बालिकाओं के लिए कार्यशील शौचालय और पेयजल सुविधाओं में बढ़ोतरी।

- **4. महामारी के बाद सुधार के संकेत-** सीखने के अंतराल में कमी, महामारी से हुए नुकसान की भरपाई होती दिख रही है।

सुप्रीम कोर्ट का हाथ से मैला उठाने की प्रथा पर प्रतिबंध

❖ सुप्रीम कोर्ट का हाथ से मैला उठाने की प्रथा पर प्रतिबंध

❖ **1. प्रतिबंध –** सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद में हाथ से मैला उठाने (Manual Scavenging) की प्रथा पर रोक लगाई।

❖ **2. हलफनामा दाखिल करने का आदेश –** इन 6 शहरों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को यह बताने का निर्देश दिया कि इस कुप्रथा को कब तक और कैसे समाप्त किया जाएगा।

❖ **3. पिछला फैसला –** डॉ. बलराम सिंह बनाम भारत संघ (2023) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इसे चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए थे।

❖ **4. सामाजिक सुधार की पहल –** यह फैसला हाथ से मैला उठाने वालों के अधिकारों की सुरक्षा और उनके पुनर्वास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

❖ **5. कानूनी और नैतिक प्रतिबद्धता –** सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन और सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार) को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय है।

❖ भारत में 'हाथ से मैला उठाने की कुप्रथा'

❖ 1. परिभाषा – हाथ से मैला उठाने का अर्थ अस्वच्छ शौचालयों, खुले नालों, गड्ढों या रेलवे ट्रैक आदि से मानव मल को हाथ से साफ करने, हटाने या निपटाने से है।

❖ 2. कानूनी प्रतिबंध –1993 अधिनियम – सफाई कर्मचारी नियोजन और शुष्क शौचालय सन्निर्माण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1993 के तहत इस प्रथा को प्रतिबंधित किया गया।

❖ 2013 अधिनियम – हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और पुनर्वास अधिनियम, 2013 के तहत इसकी परिभाषा का विस्तार किया गया और पुनर्वास की व्यवस्था की गई।

❖ 3. चुनौतियाँ –सीवेज प्रबंधन प्रणाली की कमी।

❖ वैकल्पिक रोजगार के अवसरों का अभाव।

❖ सामाजिक व आर्थिक कारणों से यह प्रथा अब भी जारी है।

❖ 4. वर्तमान स्थिति (29 जनवरी, 2025 तक) –देश के 775 जिलों में से 456 जिलों में यह कुप्रथा समाप्त हो चुकी है।शेष जिलों में इसे समाप्त करने के प्रयास जारी हैं।

❖ 5. सुधार की आवश्यकता–

❖ आधुनिक स्वच्छता प्रणालियों का विकास।

❖ प्रभावित लोगों के लिए सुरक्षित रोजगार और पुनर्वास योजनाएँ।

❖ कड़े कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन।

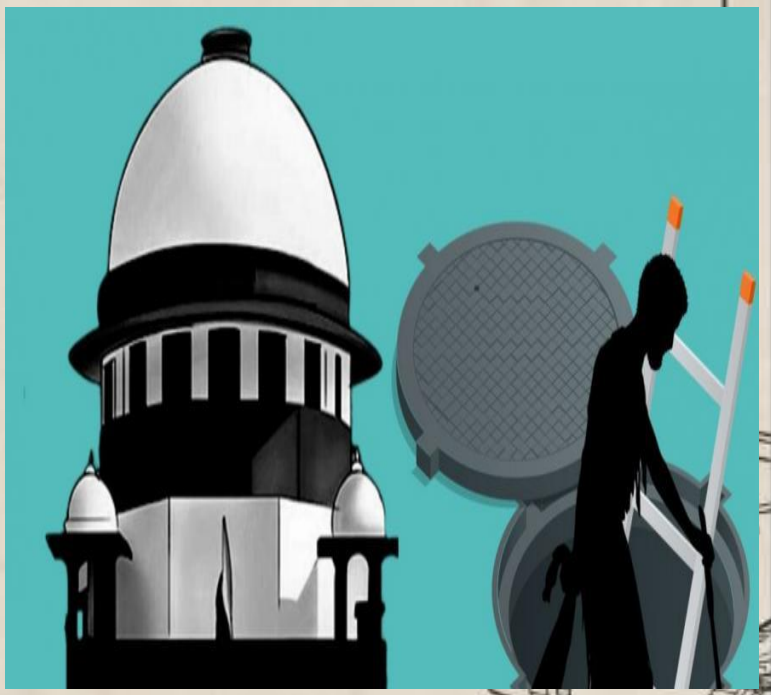

❖ हाथ से मैला उठाने से जुड़े मुख्य मुद्दे

❖ 1. मानवीय संकट –

❖ यह प्रथा मौलिक मानवाधिकारों और व्यक्ति की गरिमा का उल्लंघन करती है।

❖ सफाई कर्मियों को विषाक्त गैसों, संक्रमण और अन्य गंभीर स्वास्थ्य जोखिमों का सामना करना पड़ता है।

❖ 2. जातिगत भेदभाव –

❖ इस कार्य में लगे अधिकतर लोग समाज के वंचित और दलित समुदाय से आते हैं।

❖ सामाजिक और आर्थिक कारणों से पीढ़ी दर पीढ़ी इसे अपनाने के लिए मजबूर होते हैं।

❖ हाथ से मैला उठाने की प्रथा समाप्त करने के आवश्यक उपाय

❖ 1. तकनीकी समाधान –

❖ सीवर और नालों की सफाई के लिए रोबोट और मशीनों जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाए।

❖ 2. कानूनी सख्ती – प्रतिबंध को प्रभावी बनाने के लिए कानूनों का कड़ाई से पालन हो और नियमित निगरानी की जाए।

❖ 3. सैनिटेशन सुधार – स्वच्छता ढांचे को मजबूत किया जाए, जिससे सुरक्षित और आधुनिक सीवेज प्रबंधन प्रणाली विकसित हो।

THANK YOU

@resultmitra / 8650457000

@resultmitra

@resultmitra

Result Mitra

LIKE & SHARE

PDF

+ SUBSCRIBE